28/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील वादी व वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल तैयार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)